

परिसन्धित प्रबंध शाखा, ५, संसद मर्ग, नई दिल्ली-११०००१, फोन: ०११-२३७५३२७८

उमेरी विद्युतीय संस्कारण। यह अपेक्षित अंतरालम् 2002 के अन्तर्गत।

प्रतिशूलि हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिशूलिकरण एवं पुनर्नियन्त्रण तथा प्रतिशूलि हित अधिनियम, 2002 (सरकारी अधिनियम) के अंतर्गत 11 बैंकों, नाम एसबीआई, देना बैंक, ओबीसी, इंडसइंड बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सिल्होटी बैंक, आईटीबीआई बैंक, स्टोरीकीसी बैंक, एचडीएससी बैंक तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के क्षेत्रीयम् के पास गिरी रखी गई अवल सम्पत्ति को ई-नीतामी बिक्री। बैंक के बकाये की वसूली के लिए “जीहा है जहा है” तथा “जो भी वहाँ है आधार” पर उसकी बिक्री करने के औपचारक के साथ नीते वर्गित ऋणधारक की खाता में वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिशूलिकरण एवं पुनर्नियन्त्रण तथा प्रतिशूलि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियन्त्रित सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया है। बोली जाया करने की अंतिम तिथि 9.10.2017 के 5.00 बजे सायं तक है। ई-नीतामी की तिथि एवं समय: 10 अक्टूबर, 2017 को 11 बजे पूर्वा, से 3 बजे अप. तक प्रति 5 मिनट के अंतरालित विस्तार के अन्तरालों

साक्षा का नाम; आईएक्सेसरी कोड नं.; खाता सं., टेलीफोन नं.; एवं हैंड-फोन नं.	ब्रह्मगढ़ एवं गारन्टर का नाम	बकाया राशि (रु. लाख में)	कब्जा का प्रकार	गिरिधीर्घी गई सम्पत्ति का विवरण/ सम्पत्ति के स्वामी का नाम	आरक्षित मूल्य (इशारे) (रु. करोड़ में)	सम्पत्ति के परिचयण की सिद्धि/ समझके द्वारा	
परिसम्पत्ति प्रबंध साक्षा: नई दिल्ली: आईएक्सेसरी: UCBA0002128 खाता सं.: 21281032220001 टेली: 011-23753278 ईमेल: newamb@ucobank.co.in	श्री श्याम पल्ल्य एंड बोर्ड मिल्स लि. गारन्टर: 1) नरेश कुमार गुप्ता 2) भजश्याम एयो लि.	रु. 77103.00 लाख तथा उस पर अवाज एवं अन्य चार्जेज	पौत्रिक कब्जा	1) 5 कि.मी. मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जिला रुद्रपुर- 244713 (उत्तराखण्ड) में फैक्ट्री भूमि एवं अवाज तथा प्लान्ट एवं मशीनरी।  विवरण: खाता नं. 52, खसरा नं. 21, 22, 24, माप 4.850 हेक्टर, खाता नं. 85, खसरा नं. 37, 41, 41 एप, 42, 43, 44, माप 3.768 हेक्टर, खाता नं. 75, खसरा नं. 29, 30, 39, 42, 123, माप 5.014 हेक्टर, खाता नं. 79, खसरा नं. 41, 42, माप 1.215 हेक्टर, खाता नं. 228, खसरा नं. 423, माप 0.635 हेक्टर (कुल 15.482 हेक्टर) अर्थात् 38.24 एकड़ लगभग तथा प्लान्ट एवं मशीनरी (स्वामी: मैं, श्री श्याम पल्ल्य <sup>एंड बोर्ड मिल्स लि.</sup> )।  2) 5 कि.मी. मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जिला रुद्रपुर- 244713 (उत्तराखण्ड) में स्थित भूमि खाता नं. 26, खसरा नं. 20, 27, माप 2.997 हेक्टर अर्थात् 7.40 एकड़ लगभग (स्वामी: नरेश कुमार गुप्ता (गारन्टर)) 3) 5 कि.मी. मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जिला रुद्रपुर- 244713 (उत्तराखण्ड) में स्थित भूमि खसरा नं. 126, 127, 129, 136, माप 4.012 हेक्टर अर्थात् 9.915 एकड़ लगभग (स्वामी: भजश्याम एयो लि. (गारन्टर)) (भूमि का कुल योगफल: 22.491 हेक्टर) अर्थात् 55.555 एकड़ लगभग।	रु. 163.38 करोड़ रु. 16.35 करोड़	3- 4/10/2017 जी.एल. गुप्ता एजीएम 9987920735	रु. 2.00 लाख

निवास एवं शत्रुः

1. यह नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ उपरोक्त सम्पत्ति के समक्ष वर्णित समय (आईएसटी) के अनुसार 10.10.2017 को 11.00 बजे पूर्वी से 3.00 बजे अप. के बीच वेबसाइट <https://www.ucobank.auctiontiger.net> या (Auction tiger Mobile App-Android) के माध्यम से 'ऑन लाइन ई-नीलामी' बोली होगी।
  2. इच्छुक बोलीदाता को पोर्टल पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा तथा अधिगम में है, ई-प्राक्योर्डेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (Auction tiger), ए-210/208, वाल स्ट्रीट-II, आरिएट क्लब के सामने, गुजरात कॉर्टेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात, टेलीफोन नं. +91-079-40016800 तथा सम्पर्क व्यक्ति कुशल कोठारी मो. 08980690773 ईमेल: kushal@auctiontiger.net से लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जो अनिवार्य है।
  3. इच्छुक बोलीदाता से आग्रह है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> या (Auction Tiger Mobile App- Android) देखें।
  4. बोलियों संबंधित विवरणों सहित निर्धारित प्रारूप में केवल ऑन लाइन जमा की जाएगी।
  5. ऑन लाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 9.10.2017 के 2 बजे साथ तक है।
  6. उपरोक्त सम्पत्ति के लिए धरोहर राशि (ईमटी) का भुगतान उपरोक्त संबंधित शाखा में वर्णित खाता सं. में क्रेडिट के लिए आरटीजीएस/ एनईएफटी/ निधि अंतरण द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट पे आर्डर द्वारा किया जाएगा।
  7. ऑन लाइन जमा की गई संलग्नकों (यूटीआर नं. का उल्लेख करते हुए) के साथ बोली प्रपत्र की एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी/ संबंधित शाखा के शाखा प्रबंधक, यूको बैंक एमबी शाखा को सूपूर्ण की जाएगी तथा उसकी सॉफ्ट कॉर्पी ई-मेल द्वारा newamb@ucobank.co.in को अप्रसारित की जाएगी।
  8. जमा की गई बोली मूल्य न्यूनतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी) के बराबर या/ अधिक होगी लेकिन रु. 2.00 लाख (रुपए दो लाख मात्र) के युग्मकों में होनी चाहिए। कृपया ध्यान रहें कि प्रथम ऑन लाइन बोली (एच 1) जो ऑन लाइन अप्रग्रामी नीलामी के दौरान सिस्टम में आता है, वह बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त उच्चतम बोलियों से एक ईंकीमेट अधिक होगा अर्थात् आरंभिक मूल्य से एक ईंकीमेट अथवा आरंभिक मूल्य से विविध ईंकीमेट अधिक होगा। नीलामी के दौरान आटडविड में आने वाला परवर्ती बोली में एच 1 दर एक ईंकीमेट मूल्य में अथवा विविध ईंकीमेट मूल्यों में एच 1 रेट से अधिक होगा।
  9. सफल बोलीदाता को ऊपर कल्पना 7 में निर्दिष्ट उत्तरी प्रक्रिया में बिक्री के दिन ही ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद (पहले से जमा की गई धरोहर राशि सहित) 25% बोली राशि का भुगतान करना होगा। शेष 75% बिक्री मूल्य का भुगतान सफल बोलीदाता के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बोली की स्वीकृति/ संतुष्टि के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।
  10. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त रूप में बोली राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमी की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
  11. ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के बाद असफल बोलीदाताओं की ईमटी वापस लौटा दी जाएगी।
  12. यह बिक्री बैंक की पुस्टि के अधीन होगी तथा यदि झग्घाताक/गारन्टर बिक्री से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर देते हैं तो बिक्री नहीं की जाएगी।
  13. सम्पत्ति को "जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है आधार" पर बेचा जाएगा तथा इच्छुक बोलीदाता बैंक चार्जेज के अतिरिक्त किसी भी प्राधिकरण के सम्पत्ति से संबंधित अपनी गोपनीय आच कर ते तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व सम्पत्ति के टाइटल, विस्तार, ब्यालिटी तथा भाग्नि के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर ले। बिक्री की सम्पत्ति पर किसी प्रकार के किसी दाये, चार्जेज, अधिगार्हण तथा किसी अन्य विषय आदि के यापन में ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद विचार नहीं किया जाएगा।
  14. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/निलंबित/रद्द करने तथा बिक्री के नियमों एवं शर्तों में संरोधन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त है।
  15. क्रेता को बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकरण शुल्कों, सरकार को देय सभी सांविधिक बकाए, कर एवं दरों दोनों वर्तमान तथा भविष्य के सहित बिक्री से संबंधित स्टाम्प शुल्क का बहन करना होगा। केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही बिक्री प्रमाणपत्र जारी की जाएगी।
  16. यह बिक्री सरफॉर्म अधिनियम/नियम, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा उपरोक्त शर्तों के अधीन होगी।
  17. अधिक विवरणों के लिए कृपया सम्पर्क करें: सहायक महा प्रबंधक, बूको बैंक, एमबी शाखा, नई दिल्ली।